न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 116/2023

ऑनलाईन नम्बर 2023/218

निर्णय दिनांकः 27.03.2025

सुनीता कंवर पुत्री मालसिंह जाति राजपूत निवासी कूनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल परावा तहसील बीदासर जिला चुरू

—प्रार्थीनी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री ओमप्रकाश मोहरा अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत हैं कि प्रार्थिनी ग्राम कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की स्थायी निवासीनी हैं एवं प्रार्थिनी का ससुराल गांव परावा तहसील बीदासर जिला चुरू में हैं। प्रार्थिनी की पैतृक संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 212 तादादी 17.3700 हैक्टेयर रोही ग्राम कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है जिसमें प्रार्थिनी का 1/8 हिस्सा स्थित हैं। वादगत खेत खसरा संख्या 212 तादादी 17.3700 हैक्टेयर के पुराना खसरा नम्बर 169 रकबा 17.3700 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थिनी के पिता स्वर्गीय मालसिंह के नाम दर्ज थी। प्रार्थिनी के पिता मालसिंह के देहान्त होने के बाद वादगत खेत में स्थित उनके हिस्से की खातेदारी जरिये विरास्तन नामान्तरकरण संख्या 254 दिनांक 16.02.2006 के प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की माता रूखमाकंवर के नाम दर्ज की गयी । उक्त विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थिनी का नाम सीता पुत्री मालसिंह अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थिनी का शुद्ध एवं वास्तविक नाम सुनीता कंवर पुत्री मालसिंह है, जो प्रार्थी के समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी दस्तावेजों में अंकित है। वादगत खेत के उपरोक्त विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थिनी का नाम सीता पुत्री मालसिंह अंकित कर दिया गया जो अशुद्ध दर्ज हैं जिसे प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र के माध्यम से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाकर सुनीता कंवर पुत्री मालसिंह शुद्ध दर्ज करवाना चाहती हैं। प्रार्थिनी वादगत खेत की रिकार्डेड खातेदार हैं जो राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। प्रार्थिनी ने वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम दर्ज करने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 15:30:53 IST
Reason: SelfAttested

तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थिनी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेत की खातेदार कृषक होने से प्रार्थिनी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आधार प्राप्त है। प्रार्थिनी ग्राम कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की स्थायी निवासीनी हैं एवं वादगत खेत रोही ग्राम कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र मान्नीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फिस पर प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा संख्या 212 क्षेत्रफल 17.3700 हैक्टेयर रोही ग्राम कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थिनी के अशुद्ध नाम सीता पुत्री मालसिंह को शुद्ध किया जाकर सुनीता कंवर पुत्री मालसिंह दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें। अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थिनी हो या दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थिनी हो जावें वह भी प्रदान किया जावें ।

प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा संख्या 212 क्षेत्रफल 17.3700 हैक्टेयर रोही ग्राम कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थिनी के अशुद्ध नाम सीता पुत्री मालसिंह को शुद्ध किया जाकर सुनीता कंवर पुत्री मालसिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 15:30:53 IST
Reason: SelfAttested